प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आषय का पेष किया कि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम सोउ एवम भाम्भूओ की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 15/1 रकबा 3.4803 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काष्त सुदा आयी हुई है जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय की ढाणी तथा टयूबवैल स्थित है । प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण सख्या 01 से 07 की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 15/2 रकबा 8.0937 हेक्टर भूमि उक्त भूमि के पष्चिम दिषा में अप्रार्थीगण सख्या 08 से 13 की खातेदारी व कब्जा काष्त सुदा भूमि खसरा सख्या 9/1 रकबा 2.5414 हेक्टर आई हुई है। उक्त अप्रार्थीगण के पष्चिम दिषा में ग्राम घेवडा से कैलाषनाथ जी के मन्दिर जाने वाला कटाणी रास्ता व डामर सडक आयी हुई है प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से मुख्य सडक/कटाणी रास्ते ग्राम घेवडा से कैलाशनाथ जी के मन्दिर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सख्या 15/2 व 9/1 में से लगाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक कदीमी रास्ता चलता आ रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त रास्ता दर्ज नही है इसलिए अप्रार्थीगण अपनी इच्छानुसार बद कर देते हे तथा अत्यधिक दबाव देने पर पुनः चालू कर देते है ग्राम घेवडा से कैलाशनाथ जी के मन्दिर जाने वाली डामर सडक से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर सख्या 15/1 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातदेारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 15/2 व 9/1 की भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ नजरीये नक्शे में दर्शाये ए से बी स्थान के बीच कदीमी रास्ते को बन्द कर दिया है तथा अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि उनकी खातेदारी भूमि हे एवम रकेर्ड में रास्ते का कोई इन्द्राज नही होने के कारण प्रार्थी को आवागमन नही करने देगा जबकि प्रार्थी के पास उक्त " ए से बी " रास्ते के अलावा वैक्लपिक रास्ता आवागमन बाबत उपलब्ध नही है । प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 15/1 में आने जाने हेतु व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 15/2 व 9/1 में से चलने वाला रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्षे में बतलाये " ए से बी " स्थान के अलावा खसरा नम्बर 15/1 की भूमि में आवाजाही के लिए कोई कदीमी रास्ता उपलब्ध नही है पूर्व में प्रार्थी उक्त ए से बी रास्ते से ही आवागमन करते थे रेकर्ड में उक्त रास्ता आवाजाही का रास्ता दर्ज नही है प्रार्थी को उपरोक्त खसरान की भूमि में से 20 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाना आवष्यक है अन्यथा प्रार्थी की भूमि में से आवाजाही पूर्णतया बन्द हो जाएगी तथा प्रार्थी के टयूवबैल पर खाद बीज टेक्टर आदि ले जाने के लिए कोई सुविधा नही होगी एवम प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवाजाही की सुविधा नही होने पर भूमि का उपयोग व उपभोग व्यर्थ हो जायेगा प्रार्थी की भूमि के चिपते अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 15/2 व 9/1 में से चलने वाला कदीमी रास्ता बिन्दू " ए से बी " दर्षाया गया है जो मुख्य सडक/कटाणी रास्ते से निकटतम दूरी पर है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 15/1 में जाने के लिए एकमात्र वैक्लपिक रास्ता है जो हाल ही अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर रखा है। इसलिए उपरोक्त खसरान की भूमि में से रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरीये नक्षे में ए से बी

उपलब्ध कराये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई प्रिज्यूडिस नही होगा प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का समुचित मुल्य आदेषानुसार अदा करने को तैयार है। प्रार्थी की आवष्यकता आत्यन्तिक आवष्यकता है एवम प्रार्थी के पास भूमि की स्थिति को देखते हुए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त कदीमी रास्ता बिन्दू " ए से बी " तक खोलने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण इस हेतु सहमत नही है तथा उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाया इसलिए विवष होकर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड रहा है। अन्त में ईस्तीदुआ चाही कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 15/1 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 15/2 व 9/1 में से प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरीये नक्षे में बिन्दू " ए से बी " स्थान पर 20 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण का जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण सख्या 01 से अनुपस्थित रहे लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा खसरा सख्या 15/2 में रास्ते हेतु सहमति प्रदान की जिनके हस्ताक्षर आदेषिका में है तथा अप्रार्थीगण सख्या 08 से 13 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेष किया व जबाब प्रार्थना पत्र पेष किया अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए बताया कि खसरा सख्या 9/1 में प्रार्थी का कभी कोई रास्ता ही नही उसे ईच्छानुसार बन्द करने के तथ्य सरासर गलत है। प्रार्थी द्वारा झूठा व बनावटी नजरी नक्षा पेष किया है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण की भूमि में से कभी कोई रास्ता नही रहा न ही रास्ता वर्तमान में चलता है प्रार्थी अन्य भूमि खसरा सख्या 7/6, 7/7, 8/1, 15/2 में से आवागमन करता है प्रार्थी ने वर्तमान में उपलब्ध रास्ते के तथ्यो को छुपाते हुए नया रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेष किया है। प्रार्थीगण अन्य रास्ते से आवागमन करते है जो रास्ता मौके पर चालू है जहाँ से प्रार्थी आवागमन कर रहा है जब प्रार्थी की भूमि में आवागमन बाबत रास्ता उपलब्ध है तो अप्रार्थीगण की भूमि में से कोई रास्ता नही ले सकता है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की ईस्तदुआ चाही।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की जॉच हेतु भू अभिलेख निरीक्षक चेराई से मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई जिस पर दिनॉक 07.04.2022 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिस में अंकित किया गया कि बिन्दू ए से ओ तक डामर सडक है बिन्दू ए से बी तथा सी से डी अप्रार्थीगण सख्या 08 से 13 की भूमि है बिन्दू बी से सी अप्रार्थीगण सख्या 01 से 07 की खातेदारी भूमि है बिन्दू ए से बी तथा सी से डी व डी से ई तक 20 चौडे रास्ते की मॉग की गई हे बिन्दू ए से बी की दूरी 135 फिट है, सी से डी की दूरी 121 फिट है, बिन्दू डी से ई की दूरी 1689 फिट है, बिन्दू सी से डी खसरा सख्या 22/9 में 121 फिट लम्बे एम 20 फिट यानि 0.02 बीघा भूमि बनती है, बिन्दू एक्स से वाई तक खातेदारो की खातेदारी में एक अस्थाई रास्ता चल रहा है यह रास्ता मौके पर रेतिले टीले पर चल रहा है बिन्दू ए से डी अस्थाई रास्ता एक्स से वाई की तुलना में निकटतम रास्ता है, प्रार्थी द्वारा

चाहे गए मार्ग की आवष्यकता आत्यन्तिक आवश्यकता है यह केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण व अन्य मौतबीरान के भी हस्ताक्षर है।

उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पष्चात उभय पक्षकारानो की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेत अप्रार्थीगण सख्या 01 से 13 की खातेदारी भूमि में रास्ता चल रहा था जो रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया तब प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेष किया प्रार्थना पत्र पेष करने के पष्चात प्रसासन गॉवो के संग अभियान के षिविर प्रभारी स्वय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 17.12.2021 को स्वीकार किया गया था तथा उक्त मोका रिपोर्ट में वर्णित जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है वह रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्व करने पर प्रार्थी द्वारा अस्थाई रास्ता लिया गया लेकिन मोका रिपोर्ट तथा प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्षे में वर्णित रास्ता लघुतम व निकटतम रास्ता है तथा उक्त रास्ता बाबत खसरा सख्या 15/2 के खातेदारो के द्वारा सहमति दी जा चुकी है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस बताया कि प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा उक्त वैकल्पिक रास्ते को मौका रिपोर्ट मोका रिपोर्ट में एक्स से वाई दर्षाया गय है। इस प्रकार प्रार्थी नया रास्ता लेने के अधिकारी नही है।

धाराम 251ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत निम्न बिन्दूओ पर पत्रावली के अवलोकन/ बहस पर मनन पष्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचा

वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता :– एक्स वाई द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार एक अस्थाई रास्ता चालू है परन्तु उक्त रास्ते को बारहमासी वैकल्पिक रास्ते के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता क्योकि रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है एवम खातेदारो के द्वारा बन्द किया जा सकता है।

रास्ता मात्र सुखाचार के लिए नही अपितु आत्यन्तिक आवष्यकता :– प्रार्थी द्वारा आवागमन हेतु हालांकी अन्य सहखातेदारो के खेत में से होकर रास्ते का ईस्तेमाल किया जा रहा है परन्तु कृषि कार्य हेतु नियमित रुप से आवागमन हेतु एक बारहमासी रास्ता जो सार्वजनिक हो की आवष्यकता होती है । प्रार्थीगण के पास इस प्रकार के सार्वजनिक रास्ते का अभाव हे एवम भाईचारे से दूसरे खातेदारो की भूमि में से आवागमन हेतु अस्थाई समाधान कर रखा है स्थाई एवम सार्वजनिक रास्ते की आत्यन्तिक आवष्यकता है। मॉग किया गया रास्ता लघुतम एवम निकटतम तथा सुगम है। नजरी नक्षे के अवलोकन से स्पष्ट है कि मॉगा गया रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि का कम से कम रकबा प्रभावित करता है। अत उक्त रास्ता दिया जाना उचित है।

—:: आदेश ::—

अत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम सोउ एवम भाम्भूओ की ढाणी के खसरा सख्या 15/1 रकबा 3.4803 हेक्टर भूमि मे से डामर सडक तक आवागमन बाबत अप्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा सख्या 15/2 में से नया खसरा नंबर 21/15 रकबा 0.3138 के खातेदारो को द्वारा निःशुल्क भूमि राजहक में दर्ज करवाने बाबत सहमति दे रखी है। अतः खसरा नं. 15/2 के खातेदारान का भूमि हेतु राशि अदा करने की आवश्यकता नही है तथा मूल खसरा नंबर 9/1 रकबा 2.5414 है. भूमि में से नया खसरा नंबर 23/9 रकबा 0.0224 हैक्टयर गै.मु.रास्ता दर्ज है को यथावत रखते हुए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 8 से 13 रास्ते की प्रभावित भूमि 0.0224 हैक्टयर भूमि की डी.एल.सी. की तीन गुना दर से अदा करने पर तहसीलदार तिंवरी रास्ते की भूमि पर मौके पर किये गये अवरोध को हटाकर रास्ते पर आवागमन सुनिश्चित किया जावें।

(राजकेश मीणा)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

निर्णय आज दिनॉक 20/7/2022 को सरेईजलास सुनाया गया।

(राजकेश मीणा)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ